संख्या- 41/2026/341/छप्पन-2026-56-1099/12/2026

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ; दिनांक: 31 मार्च, 2026

विषय: विभिन्न राजकीय हवाई पट्टियों पर अनुरक्षण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 431/ना0उ0नि0-2026-ह0प0विविध/2020 दिनांक 18 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), पलिया (लखीमपुर खीरी) एवं अमहट (सुल्तानपुर) हवाई पट्टियों पर आवश्यक अनुरक्षण कार्य कराए जाने हेतु कुल रू0 232.8472 लाख (रूपए दो करोड़ बत्तीस लाख चौरासी हजार सात सौ बीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा उक्त धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र दिनांक 18 मार्च, 2026 के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित खण्ड को भुगतान किए जाने की सूचना दी गई है।

2- जनपद अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), पलिया (लखीमपुर खीरी) एवं अमहट (सुल्तानपुर) हवाई पट्टियों पर आवश्यक अनुरक्षण कार्य कराए जाने हेतु कुल रू0 232.8472 लाख (रूपए दो करोड़ बत्तीस लाख चौरासी हजार सात सौ बीस मात्र) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग को परीक्षणार्थ सन्दर्भित किया गया। प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रायोजना की प्रस्तावित लागत रू0 232.8472 लाख के सापेक्ष प्रभाग द्वारा लागत रु0 219.49 लाख (रू0 दो करोड़ उन्नीस लाख उनचास हजार मात्र) आंकलित की गयी है, जो निम्नवत् है:-

(लागत रू0 लाख में)

क्र0 सं0	हवाई पट्टी का नाम	संस्था जिसके द्वारा आगणन गठित किया गया है	आगणन के अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्य	प्रस्तावित लागत	प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत
1.	अकबरपुर (अम्बेडकरनगर)	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अम्बेडकरनगर	1. जंगल सफाई । 2. बाउण्ड्रीवाल मरम्मत । 3. बाउण्ड्रीवाल व गेस्ट हाऊस की पेटिंग । 4. सोफा, ए0सी0 इन्वर्टर बैट्री आदि ।	49.61	47.13
2.	पलिया (लखीमपुर खीरी)	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, लखीमपुर खीरी	1. भवन कार्य की आंशिक मरम्मत एवं पुताई का कार्य। 1. सेनेटरी एवं जलापूर्ति का कार्य। 2. बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत एवं वायर फैसिंग का कार्य। 3. रेलिंग की मरम्मत का कार्य। 4. अन्य विविध कार्य।	118.62	110.98

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3.	अमहट (सुल्तानपुर)	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सुल्तानपुर	1. हवाई पट्टी के सम्पूर्ण आन्तरिक भाग में जंगल साफ-सफाई का कार्य। 2. क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल की मरम्मत का कार्य। 3. क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल की प्लास्टर का कार्य। 4. बाउण्ड्रीवाल की रंगाई-पुताई का कार्य। 5. क्षतिग्रस्त कंटीले तार लगाने का कार्य। 6. गेस्ट हाउस की मरम्मत का कार्य। 7. हवाई पट्टी को जाने वाले मुख्य मार्ग की मरम्मत का कार्य। 8. आवश्यकतानुसार फर्नीचर की आपूर्ति का कार्य। 9. विद्युत वायरिंग का कार्य। 10. अन्य विविध कार्य।	64.62	61.38

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), पलिया (लखीमपुर खीरी) एवं अमहट (सुल्तानपुर) हवाई पट्टियों पर आवश्यक अनुरक्षण कार्यों को कराए जाने हेतु कुल आगणन रू0 232.8472 लाख (रूपए दो करोड़ बत्तीस लाख चौरासी हजार सात सौ बीस मात्र) के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 219.49 लाख (रू0 दो करोड़ उन्नीस लाख उनचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के निवर्तन पर रू0 47.13 लाख (रू0 सैतालीस लाख तेरह हजार मात्र); जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी के निवर्तन पर रू0 110.98 लाख (रू0 एक करोड़ दस लाख अट्ठानवे हजार मात्र) एवं जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के निवर्तन पर रू0 61.38 लाख (रू0 इक्सठ लाख अडतीस हजार मात्र) रखे जाने हेतु अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही करना सुनिश्चित करेंगे।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(11) वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर/ लखीमपुर खीरी एवं सुल्तानपुर द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

(12) वित्त विभाग के शासनादेश सं0- 10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 का यथा-आवश्यकतानुसार पालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के बाद ही निर्मण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(13) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75. दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रकिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्ते पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।

(14) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(15) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। निदेशक, नागरिक उड्डयन का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही निदेशक, नागरिक उड्डयन का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (consumed) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/ग्रिट/मौरंग इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं०- 2/2022/ई-8-202/दस-2022 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(16) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(17) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(19) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 के अन्तर्गत उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 219.49 लाख (रू0 दो करोड़ उन्नीस लाख उनचास हजार मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के निवर्तन पर रू0 47.13 लाख (रू0 सैतालीस लाख तेरह हजार मात्र); जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी के निवर्तन पर रू0 110.98 लाख (रू0 एक करोड़ दस लाख अट्ठानवे हजार मात्र) एवं जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के निवर्तन पर रू0 61.38 लाख (रू0 इक्सठ लाख अडतीस हजार मात्र) रखी जायेगी और जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर/लखीमपुर खीरी एवं सुल्तानपुर द्वारा कार्य की आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

5- उक्त धनराशि को वित्तीय 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों का निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत निर्माण कार्य" से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: E-7-384-X-2025-26- दिनांक: 31 मार्च, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 41/2026/341/छप्पन-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

(3) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

(4) जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर/ लखीमपुर खीरी एवं सुल्तानपुर।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ अम्बेडकरनगर/ लखीमपुर खीरी एवं सुल्तानपुर।

(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(7) समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in